

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

भ्रज अदालत

मुकाम

आवरी

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा

डा. पत्र

नं.

356

सन्

2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/23	<p>जो स्वही दर्ज हुआ है</p> <p>अनः वादीजान डा वाड पत्र</p> <p>स्वहीन होकर निरस्त होग्य</p> <p>है अनः वाड खादीज डले</p> <p>डा निवेदन किया। हमने पत्रावली</p> <p>डा उनाद्योपान्त अवलोकन/अवमन</p> <p>डा उनाखिवस्ता उमम पत्र की</p> <p>कहल पर चिन्तन व मनन किया</p> <p>पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज</p> <p>डा सूत्रम अवलोकन करने से</p> <p>मह विहित हुआ है कि अखिवस्ता</p> <p>प्राप्तीजान ने जिस विडम पत्र</p> <p>के आवार पर उक्त विवादात्मक</p> <p>अभि उम की है उसनी उरि</p> <p>न्यायालय हाजा में उल्लुत</p> <p>नही की है। जिसने प्राप्ती</p> <p>के बधने की पुक्ति नही होगी</p> <p>है और ना ही लेना कोरी</p> <p>सात्रम/सकूर पैदा किया है</p> <p>जिसने उतमेग प्राप्तीजान डा</p> <p>हड - हिप्ता उमानित हो लगे</p>	<p>(सु. देवल)</p> <p>उपस्थित अधिकारी</p> <p>चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कार: उपरोक्त विवेचन के
आधार पर न केवल
सर्वर के जवाब को
इसरेगा रखने हुए प्रावधान
वा प्रा.पु स्वीकार योग्य
नही होने से खाली किया
जाता है परन्तु फौजदार
कुमार होकर नमूने से
उत्त हो,


(बिनु देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)